न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 43/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00236

उनवान

1. हरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 रेवती शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अड्डा तहसील व जिला भरतपुर राज0 हाल निवासी नमक कटरा भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
2. अशोक कुमार शर्मा
3. कृष्ण कुमार शर्मा
4. सन्तोष कुमार शर्मा

} पुत्रान स्व0 रेवतीप्रसाद } जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अड्डा तहसील व जिला भरतपुर।

5. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 रेवतीप्रसाद
6. श्रीमती द्रापती देवी पत्नी स्व0 हीरालाल(मृतक)

6/1. श्रीमती सत्यवती पुत्री हीरालाल मॉ द्रोपती देवी पति रामवीर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिल्होरा पोस्ट तरौली तहसील छाता जिला मथुरा।

7. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सुखदेव पुत्री स्व0 रेवतीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी धौरमुई तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

8. गोपालप्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 रेवतीप्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अड्डा तहसील भरतपुर हाल निवासी शिवशक्ति मैरिज होम के सामने नमक कटरा भरतपुर।

.....तरवीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दि0 06.02.2018 मि.नं. 106/17 उनवानी राजेन्द्र बनाम हरेन्द्र।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–06.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 332 वाके ग्राम अड्डा तहसील भरतपुर में स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण वहिस्सा बराबर के रिकार्डेड सह काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति हैं। अतः वह आये दिन संयुक्त काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ना तो सुनवाई का एवं ना ही जवाब प्रस्तुत करने का कोई मौका दिया एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कोई जवाब व साक्ष्य का अंकन आदेशिका पर नहीं किया तथा बिना साक्ष्य परीक्षण के कैम्प में ले जाकर प्राथमिक डिक्री कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को वापस विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2019 पेज 730 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान रैस्पो0 अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे प्रस्तुत हुये एवं दोनों दावो का समेकित करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने एक दावे की अपील की है एवं दूसरे दावे की कोई अपील नहीं की गयी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

है। दो आदेशो के विरूद्ध एक अपील पोषणीय नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रैस्पो0 संख्या 08 को तरतीवी पक्षकार बनाया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में वह मुख्य पक्षकार था। कैम्प में ले जाकर निर्णय पारित किया है। ऐसा ना तो आदेशिका में एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख है। अतः निर्णय न्यायालय परिसर में ही हुआ है। कुर्रे बनकर आ गये हैं उन पर आपत्ति का पूरा अधिकार है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि दोनों दावो को समेकित करते हुये निर्णय पारित किया है। अतः दो अपीले करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का मौका दिये राजस्व लोक अदालत में पारित किया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.06.2017 में स्पष्ट अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 01(अपीलाण्ट) व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 स्वयं उपस्थित हुये। इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रतिवादी संख्या 01 (अपीलाण्ट) के हस्ताक्षर भी आदेशिका पर अंकित है, जो हस्तगत अपील एवं वकालतनामा पर हो रहे अपीलाण्ट के हस्ताक्षरो से मेल खाते हैं। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 18.07.2017 को प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 08 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के उपरान्त भी अपनी ओर से कोई अभिभाषक को नियुक्त नहीं किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 27.07.2017 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। विवाद भी पारिवारिक/सगे भाईयो के मध्य है। इस प्रकार अपीलाण्ट का यह तर्क, की उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला, निराधार है। इसी प्रकार अपीलाण्ट की द्वितीय आपत्ति में भी हम कोई बल नहीं पाते हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अथवा निर्णय में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ हो। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा भी उक्त तथ्य को सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इस तथ्य को तब तक गलत नहीं माना जा सकता, जब तक अपीलाण्ट इन्हें किसी प्रमाणिक साक्ष्य से गलत सिद्ध नहीं कर देते। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट द्वारा अपील में केवल तकनीकी बिन्दुओ पर आपत्ति की गयी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

है एवं उक्त आपत्ति भी, जैसा कि ऊपर विवेचना में आ चुका हैं। पूर्ण रूप से सारहीन पायी गयी हैं। अपीलाण्ट ने अपनी अपील अथवा दौराने बहस यह नहीं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर किस प्रकार से विधि विरूद्ध है अथवा वह अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित हैं। प्रकरण में दिनांक 02.05.2018 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके हैं। अपीलाण्ट को यदि विभाजन प्रस्तावो बाबत् आपत्ति है, तो वह आपत्ति करने हेतु स्वतंत्र हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2018 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

06.12.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर